उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्याः–433–औसं / 2014–64–ए0एस0 / 02 दिनाँक 01 फरवरी, 2014

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल / पूर्वान्चल / दक्षिणांचल / पश्चिमाँचल,
विद्युत वितरण निगम लि0 / केस्को,
लखनऊ / वाराणसी / आगरा / मेरठ / कानपुर।

मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत),
समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) / पारेषण,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

विषयः–विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0, द्वारा दि0 06.02.2014 को सामूहिक सत्याग्रह, दिनाँक 17 व 18.02.2014 को कार्य–बहिष्कार एवं दिनाँक 19.02.2014 से 24 घण्टे की हड़ताल की नोटिस के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कर्मचारियों की समस्याओं / मांगों के सम्बन्ध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0, (जिसमें उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ, विद्युत मजदूर पंचायत उ0प्र0, विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन, उ0प्र0, बिजली कर्मचारी महासंघ (एटक) उ0प्र0, हाइड्रो कर्मचारी इलेक्ट्रिक इम्प्लाइज यूनियन, उ0प्र0, विद्युत मजदूर संघ, (बी0एम0एस0) उ0प्र0, बिजली मजदूर यूनियन, उ0प्र0, बिजली बोर्ड इम्प्लाइज यूनियन (सीटू) उ0प्र0, राज्य विद्युत परिषद लेखा कर्मचारी संघ, उ0प्र0 एवं विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ, उ0प्र0 कुल 10 यूनियन सम्मिलित है) द्वारा दि0 06.02.2014 को सामूहिक सत्याग्रह, दि0 17 व 18.02.2014 को कार्य–बहिष्कार एवं दिनाँक 19.02.2014 से 24 घण्टे की हड़ताल की नोटिस दिया है विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0, का यह कार्य अनुचित व अवैधनिक है।

आप विदित है कि उ0प्र0 शासन ने उ0प्र0 आवश्यक सेवाओ का अनुरक्षण अधिनियम–1966 के अर्न्तगत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में अधिसूचना संख्या–4170 / 24–पी–2–13–1(121) / 04 दिनाँक 19.12.2013 द्वारा छः माह के लिये हड़ताल निषिद्ध की है जिसकी सूचना आपको कारपोरेशन (मुख्यालय) के पृष्ठांकन संख्या–80–औसं / 2014–159–ए0एस0 / 67 दिनाँक 04.01.2014 द्वारा पूर्व में दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में हड़ताल करना, उकसाना व कार्यो में व्यवधन आदि उत्पन्न करना न केवल अनुचित अपितु अवैधानिक भी है।

अतः विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति उ0प्र0 द्वारा प्रस्तावित उक्त कार्य–बहिष्कार / हड़ताल को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत आपूर्ति की स्थिति सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व सयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला–प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये।

यह भी अनुरोध है कि सम्भावित हड़ताल की अवधि में अधिकारियों / कर्मचारियों को (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) अवकाश स्वीकृत न किया जाये तथा अनुपस्थित होने वाले कर्मियों के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–929–औ0सं0 / 17 / पाकालि / 2001–3–ए0 / 79 दिनाँक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में ''काम नहीं तो वेतन नहीं'' के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किया जाये तथा हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जाये।

कृपया इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधे मोहन)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्याः–433–औसं / 2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

UNION/ 647

2– संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को कान्टीजेन्ट प्लान एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थाये पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।

3– समस्त महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

4– समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

5– कारपोरेशन मुख्यालय/लेखा–शाखा के समस्त अधिकारीगण, शक्ति भवन, लखनऊ।

6– अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट **WWW.uppcl.org** पर लोड करने हेतु।

7– कट फाइल।

(राधे मोहन)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)